<u>न्यायालयः विशेष न्यायाधीश, एम0पी0एम0एल0ए0 कोर्ट / अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–06 लखनऊ।</u>

<u>जमानत प्रार्थनापत्र सं0–837 / 2022</u>

<u>CNR No. UPLKO10012832022</u>

मोहम्मद आजम खान, पुत्र स्व0 मोहम्मद मुमताज खान, निवासी–124, घेर मीर बाज खान, जेल रोड, रामपुर, जिला रामपुर।

......प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी / अभियोजक

मु0अ0सं0–079 / 2019
अं0धारा–500, 505 भा0द0सं0
थाना–हजरतगंज,जिला–लखनऊ।

<u>दिनांक 16–02–2022</u>

1. प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा जमानत हेतु सत्र न्यायालय में दिया गया यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

2. प्रार्थी / अभियुक्त थाना–हजरतगंज, जिला–लखनऊ पर पंजीकृत अपराध सं0 079 सन् 2019 में भा0दं0सं0 की धारा–500,505 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए नामांकित एवं न्यायिक अभिरक्षा में है।

3. मेरे द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को विस्तृत रूप से सुना गया तथा केस डायरी व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4. अभियोजन पक्ष के कथनानुसार वादी मुकदमा अल्लामा जमीर नकवी लेखक आलोचक द्वारा थाना हजरतगंज, लखनऊ में संक्षेप में इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि पूर्व मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार श्री अखिलेश यादव के काबिना के वरिष्ठ मंत्री, संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्प संख्यक कल्याण एवं हज, उत्तर प्रदेश सरकार मो0 आजम खॉ पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद मुमताज खॉ, मूल निवासी टंकी सं0–5, जेल रोड, थाना–कोतवाली शहर, जिला रामपुर एवं कार्यालय पता–कक्ष संख्या–101–102 मुख्य भवन (विभान भवन) थाना हजरजगंज स्थित कार्यालय में बैठकर स्वयं जानबूझकर अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए दिनांक 04–08–2014, 05–08–2014, 06–08–2014, 07–08–2014, 08–08–2014, 11–08–2014 को सरकारी लेटर पैड पर तथा दिनांक 12–08–2014 को सादे पृष्ठ पर कम्प्यूटर द्वारा टाइप शुदा, सरकारी लेटर पैड एवं सरकारी मोहर का दुरूपयोग करते हुये स्वयं के हस्ताक्षर से स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्रों एवं

टी0वी0 न्यूज चैनलों इत्यादि के द्वारा सरकारी रोब, धौंस डालकर प्रभाव डाल के दबाव में लेकर समाचार प्रकाशित व प्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य निर्गत किये गये है, जो दूसरे दिन प्रकाशित होकर स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित व उसी अंकित तिथि में प्रसारित हुए थे। उक्त समस्त कार्य पूर्व मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार के दिशा–निर्देशों के तहत भली भॉति उनकी जानकारी में हुए हैं। उक्त प्रकरण में पत्रों में अंकित गंभीर बिन्दु इस प्रकार है कि 1. पत्र दिनांक 04 अप्रैल को आर0एस0एस0 के एजेण्डे का प्रचार करने वाला इस्लाम के नाम पर कलंक यहूदी लाबी व बी0जे0बी0 लाबी को खुश करने एवं आर0एस0एस0 के हाथों शैक्षिक व सामाजिक स्तर पर बर्बाद करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ सीरिया व ईराक जैसा बर्ताव आर0एस0एस0 करें। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए सी0बी0आई0 जॉच का अरमान रखने वाले तथाकथित धर्म गुरू अपने फासिस्ट आकाओं से यह अरमान भी पूरा करायें ताकि मुसलमानों को यह मालूम हो सके कि मीर जाफर और मीर सादिक अभी भी जिन्दा है। 2. इसी प्रकार दिनांक 05 अगस्त के पत्र में इस प्रकार लिखा गया है मुकद्दस लिबास पहन कर बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को मुबारकबाद पेश करना और फूलों के गुलदस्ते देना बस धर्म गुरू को ही शोभा देता है। ''मोदी नर है तो क्या डर है'' कहने वाले इस धर्म गुरू ने खुल कर मुकद्दस मिम्बर (धार्मिक मंच) से भा0ज0पा0 के लिए वोट देने का फतवा जारी करके पूरी मुस्लिम कौम को शर्मसार किया है। ''अपने भाजपाई आकाओं'' यदि मुझसे कान में भी कह दिया होता तो दरवाजे–दरवाजे ठोकरें खाने से बच जाते। 3. दिनांक 06 अगस्त 2014 के पत्र में भी इसी प्रकार के घृणित शब्दों का जान बूझकर उपयोग इस प्रकार किया है कि ''तथा–कथित ढोंगी धर्मगुरू'' ने बाबरी मस्जिद की शहादत को जिस तरह अपमानित किया उसकी भी दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। अपनी बेटी की शादी 06 दिसम्बर को करके और उस शादी में घटिया स्तर की ''रंगरेलियॉ'' मना कर यूॅ तो दुनिया भर के मुसलमानों बिलखुसूस हिन्दुस्तानी मुसलमानों को जिस तरह से अपमानित और रूसवा किया है उसके लिये धर्म गुरू को पूरी कौम से बिला शर्त माफी मॉगनी चाहिये। ''हुसैनाबाद 'ट्रस्ट जिस पर यह ढोंगी धर्म गुरू कुण्डली मारे बैठे हैं और खुद को नवाब वाजिद अली शाह समझ लिया है, मुकद्दश मुकामात को जिनमें मस्जिद और इमामबाड़े शामिल है, ऐसे स्थानों को अपनी नापाक सियासत का अड्डा बना लिया है'' 4. इसी प्रकार दिनांक 07 अगस्त के पत्र में अन्य घृणित बातों के अलावा आरोप लगाया है कि 22 बीघा जमीन जो वक्फ सज्जादिया, आलम नगर की है, जिसे मुतवल्ली होते हुए धर्मगुरू ने प्लाटिंग करके बेचा है, उसके बारे में वक्फ विभाग जानना चाहता है कि यह पैसा कहॉ गया? 5. दिनांक 08 अगस्त के पत्र में भी ''अली बाबा'' केशरिया धर्मगुरू बताइये कि 06 दिसम्बर के दिन अपनी बेटी की शादी करके और अपने केशरिया

आकाओं के सामने मिली सूचना के आधार पर ''हवन'' कराकर आकाओं को खुश करने का नागपुरी तरीका आर0एस0एस0 के माध्यम से आखिर किसलिये अपनाया गया? ''कभी अपने शरीर पर भी इस नापाक जानवर (सुअर) का सर लगाओ और देखो कि कैसे लगते हो? 6. दिनांक 11 अगस्त 2014 के पत्र में अंकित किया है कि ''ढोंगी धर्मगुरू उर्फ अलीबाबा'' उक्त धर्मगुरू 06 दिसम्बर को बेटी की शादी करके 15 लाख रूपये राम मंदिर को देकर 22 बीघा वक्फ की जमीन जिसके वह मुतवल्ली है प्लाटिंग करके बेच डालने'' बस ऐसा शख्स (अलीबाबा) मिल्लत का गमख्वार नहीं आर0एस0एस0 का एजेंट ही हो सकता है'' जैसे निराधार वक्तव्यों से दो कौमों शिया–सुन्नी में शत्रुता फैलाने, मौलाना की छवि धूमिल करने व भाजपा एवं आर0एस0एस0 को बदनाम करके उसकी भी छवि धूमिल करने का पूरा प्रयास किया गया है, जिससे उसकी व उसके कौम की भावनाएँ आहत हुई हैं तथा मौलाना का राष्ट्रीय स्तर पर कौम, समाज, परिवार व मित्रों आदि में छवि व मान सम्मान को ठेस पहुँचने से प्रतिष्ठा पर घोर आघात लगा है व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक क्षति और लोगों की नफरत व शर्मिंदगी आदि का अभी तक सामना करना पड़ रहा है जो किसी धर्मगुरू के लिये अपूर्णनीय क्षति है। 7. दिनांक 11 अगस्त के पत्र में ''कल्व–ए–दुनिया (दुनिया का कुत्ता) के अलावा'' डराने, धमकाने और दूसरों को ब्लैकमेल करने जैसे घृणित शब्दों का जानबूझकर उपयोग किया है। 8. इसी प्रकार दिनांक 12 अगस्त के पत्र में भी गंभीर आरोप इस प्रकार लगाये गये हैं कि ''अपने नापाक इजहार–ए–ख्याल पर ढोंगी धर्मगुरू को मालूम हो कि संगसारी (पत्थर मार मार कर हत्या करना) की सजा भी मिल सकती है। ''धर्मगुरू राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी हैं तथा हिंदुस्तान में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में गृहयुद्ध कराने का आर0एस0एस0 के साथ मंसूबा (योजना) तैयार कर रहे हैं ताकि मुसलमानों के एक बड़े फिरकें (सुन्नी वर्ग) का कत्ल–ए–आम कराया जा सके'' फिर धमकी दिया कि ''मोहम्मद आजम खान ने एक बार फिर चेतावनी के लहजे में कहा कि हमारा इख्तेलाफ तुमको ढोंगी धर्मगुरू को भी नहीं बक्सेगा, इसे याद रखना।'' यही पूर्वाग्रह व दुश्मनी के तहत उक्त पूर्व काबीना मंत्री मोहम्मद आजम खान ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व वसीम रिजवी के षड्यंत्र के तहत दिनांक 25 जुलाई 2014 को पवित्र रमजान के अंतिम पवित्र जुम्मा अलविदा को मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी के कुशल नेतृत्व में कौमी घेराबन्दी करके जान कायद–ए–मिल्लत मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी को जान से मार डालने के उद्देश्य से मुख्य निशाना बनाते हुए प्राण घातक लाठीचार्ज पुलिस द्वारा कराया था जिसका उद्देश्य उक्त धर्मगुरू को जानबूझकर हत्या करना था, किन्तु खेद एवं दुख है कि उक्त मौलाना को पुलिस के जानलेवा प्रहार से बचाने में रोजेदार श्री कर्रार मेंहदी शहीद हो गये और उस शहीद के बलिदान से मौलाना सैयद कल्बे जवाद

नकवी को जीवन दान प्राप्त हुआ, अन्यथा उक्त तीनों षडयन्त्रकारी लोग पुलिस प्रशासन द्वारा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी की हत्या कराने में सफल हो जाते, जिससे मुस्लिम वर्गीय दंगा शिया–सुन्नी हो सकता था। उक्त निराधार आरोप के दैनिक समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों में प्रकाशित व प्रसारित समाचारों से उसकी व उसके कौम की भावनाएं आहत हुई है तथा शिया–सुन्नी समुदाय के बीच शत्रुता व कटुता पैदा हुई है। 10. उक्त के अलावा उक्त कबीना मंत्री का इतना अधिक मनोबल बढ गया कि उसने पुनः इसी प्रकार प्रकाशनार्थ वक्तव्य के तहत सरकारी लेटर पैड पर सरकारी सील मोहर का दुरूपयोग करते हुए दैनिक समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलो को समाचार को प्रभावित करके प्रकाशित व प्रसारित करने के लिए टी0वी0 चैनलो व समाचार सम्पादकों को प्रभाव में लेने हेतु दिनांक 14.10.2015 को स्पष्ट पत्र निर्गत करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत नई दिल्ली के पूर्व न्यायमूर्ति माननीय काटजू के वक्तव्य पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस प्रकार अपमान किया कि उन्हें अपने सम्बोधन में जस्टिस काटजू का वक्तव्य केवल चुनौती ही नही बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए काफी है। पुनः दूसरे पैरा में अंकित करते है कि कमजोरो को मारने वालो और बेगुनाहों को सजा देने वालों को अपने गिरेबान में मुंह डालकर अपनी मर्दानगी से सवाल करना चाहिए। मोहम्मद आजम खॉ द्वारा जानबूझकर उन्हें अपमानित करने के लिए अकारण निर्गत किये गये प्रकाशनार्थ वक्तव्य से उसे व उसकी पूरी शिया समुदाय व बुद्धिजीवी वर्ग को भी घोर आघात पहुंचा है। उक्त वक्तव्य भारत के मुस्लिम बाहुल्य प्रान्तों व देश में वर्गीय दंगा फसाद कराके शांति व्यवस्था भंग करने के षडयंत्र के तहत निर्गत किये जा रहे थे, जिससे देश व प्रदेश का माहौल खराब हो और चुनाव प्रभावित हो, जिसका पूर्ण लाभ समाजवादी पार्टी व उसके नेताओं को प्राप्त हो सके, और पुनः उसकी सरकार का गठन हो सके जो घृणित योजनाबद्ध षडयंत्र शिया सुन्नी व आम जनता की सूझबूझ के कारण विफल हो गया और देश और प्रदेश में सफल वोटिंग हुई, जिससे निष्पक्ष व न्यायप्रिय आर0एस0एस0 व भा0ज0पा0 की सरकार का गठन हुआ। उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में अभियोग पंजीकृत हुआ तथा विवेचना प्रचलित हुयी।

5. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आक्षेप पूर्णतः असत्य, मनगढ़न्त एवं भ्रामक है। प्रार्थी वर्तमान में समाजवादी पार्टी का सदस्य है, व वर्ष 2019 से रामपुर का सांसद है तथा पूर्व में सन् 1980 से 2017 के मध्य नौ बार विधायक रह चुका है। इसके अतिरिक्त वह सरकार में चार बार मंत्री के पद पर रहा है। प्रार्थी वर्ष 2002–2003 में उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष था तथा राज्य सभा में सांसद भी रहा है। प्रार्थी एक प्रख्यात राजनेता

होने के साथ–साथ शिक्षाविद् भी है और मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर का संस्थापक है। उसने चार स्कूल, एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया है। उसके द्वारा कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के सामाजिक, वैज्ञानिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। इस लोकप्रियता के कारण विपक्षी राजनीतिज्ञ और असामाजिक तत्व उसका विरोध करते हैं। प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 5 वर्ष के विलम्ब से लिखायी गयी है और इस विलम्ब का कोई भी कारण दर्शित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट परिसीमा काल संबंधी धारा–468 दण्ड प्रक्रिया संहिता से बाधित है। प्रस्तुत मामले में विवेचना किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि घटना के इतने समय पश्चात् मामले का प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता। वादी मुकदमा उससे राजनीतिक विद्वेष रखता है और उसके द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध थाना अजीमनगर जिला रामपुर में अपराध संख्या–312/2019 सहित कई मामले दर्ज कराये गये हैं। वादी मुकदमा को प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह न तो पीड़ित व्यक्ति है और न ही किसी राजनीतिक दल या संगठन में किसी पद पर है, जिसके विरूद्ध कथित अपमानजनक टिप्पणी किया जाना बताया गया है। धारा–500, भा0दं0सं0 के अन्तर्गत केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ही संज्ञान लिया जा सकता है। उसके विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा–500 व 505 की उपधारा (1) (2) (3) का अपराध नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित बयान समुदाय केंद्रित न होकर व्यक्ति केंद्रित है जिससे किसी वर्ग अथवा धर्म के विरूद्ध विद्वेष फैलना सम्भव नहीं है। प्रस्तुत मामले में कथित वक्तव्य का प्रचार प्रार्थी द्वारा न करके प्रिंट व टेलीविजन के माध्यम से किया गया हैं। उसके द्वारा लिखे गये किसी पत्र में मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी के विरूद्ध अपमानजनक बयान देने का उल्लेख नहीं है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बी0जे0पी0, आर0एस0एस0 के साथ मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी के विरूद्ध अपमानजनक बयान देने का कथन किया गया है। वादी मुकदमा को धारा–199 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। उसके द्वारा मुस्लिम समुदाय के विरूद्ध कोई भी कथन नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुए तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है लेकिन विवेचक द्वारा अब तक आरोप–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे विवेचक का दुराशय प्रकट होता है। प्रस्तुत मामले में विवेचक ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एस0सी0सी0 273 में दिये गये दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में बी–वारण्ट प्राप्त किया है। प्रस्तुत मामले में आरोपित धाराओं में 7 वर्ष से कम की सजा का प्राविधान है, अतः उसकी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्धि अविधिक है। उसके विरूद्ध सत्ताधारी दल की शह पर रामपुर प्रशासन द्वारा कई झूँठी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी

गयी है। वादी मुकदमा प्रार्थी का राजनीतिक प्रतिद्वन्दी है और इसी क्रम में उसके पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजे, बहन के विरूद्ध अल्प समय में कई झूठे मुकदमे पंजीकृत कराये गये हैं। उसे कई मामलों में विचारण न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत/अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। वह 23 माह से कारागार में निरूद्ध है तथा प्रस्तुत मामले में दिनांक 05–01–2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उत्तर प्रदेश में दिनांक 10–02–2022 से 07–03–2022 तक विधान सभा का चुनाव प्रस्तावित है जिसमें दिनांक 14–02–2022 को प्रार्थी की विधान सभा में मतदान है। वह समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ सदस्य है तथा उसे चुनाव में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। वह 73 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है तथा विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है। उसे तत्काल चिकित्सीय देखभाल व उपचार की आवश्यकता है, वह विवेचना में सहयोग करेगा, उसके फरार होने व साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किये जाने की सम्भावना नहीं है। वह उचित जमानतें देने के लिए तैयार है। इस प्रकार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्थाओ " प्रवासी भलाई संगठन प्रति यूनियन आफ इंडिया व अन्य, तथा " बिलाल अहमद कालू प्रति आन्ध्र प्रदेश राज्य, (1997) 7, एससीसी, 431, व पैट्रिसिया मुखीम प्रति मेघालय राज्य" दाण्डिक अपील सं0. 141 सन 2021, निर्णय दिनांकित 25.3.21 का उल्लेख करते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए शिया समुदाय के धर्म गुरू मौलाना कलबे जवाद नकवी के विरूद्ध अत्यंत अपमानजनक वक्तव्य जारी करते हुए उन्हें अखबारों व टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित करवाया, जिससे शिया व सुन्नी वर्गो के मध्य आपसी घृणा व कटुता का भाव उत्पन्न हुआ। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस प्रकार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7. प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को नामित करते हुए प्र0सू0रि0 इन कथनों के साथ पंजीकृत करायी गयी है कि अभियुक्त ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर शिया धर्म गुरू के विरूद्ध अपमानजनक वक्तव्यों को साशय प्रकाशित व प्रसारित कराया, जिससे उक्त कौम की भावनायें आहत हुई तथा शिया–सुन्नी समुदायों के मध्य आपसी शत्रुता व कटुता पैदा हुई। विवेचक ने केस डायरी में अभियुक्त द्वारा विभिन्न तिथियों पर जारी प्रकाशनार्थ वक्तव्यों को संलग्न किया है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त सभी वक्तव्य अभियुक्त द्वारा अपने स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये गये है, जिनमें अभियुक्त द्वारा शिया धर्म गुरू के विरूद्ध अत्यन्त

अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया शिया व सुन्नी वर्ग में घृणा व बैमनस्यता का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा अपने सरकारी लेटर पैड का दुरूपयोग करते हुए दिनांक 4.10.15 को जारी वक्तव्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के मा0 पूर्व न्यायमूर्ति के वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके अपने सम्बोधन में '' जस्टिस काटजू का वक्तव्य केवल चुनौती ही नही, बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए काफी है। कमजोरों को मारने वालों और बेगुनाहों को सजा देने वालों को अपने गिरेबान में मुंह डालकर अपनी मर्दानगी से सवाल करना चाहिए '' कहा है। अभियुक्त का उक्त कथन न्यायपालिका का अपमान कर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला परिलक्षित होता है। विवेचक द्वारा केस डायरी में अभियुक्त की ओर से जारी वक्तव्यों के प्रकाशन से संबंधित विभिन्न समाचारपत्रों की कटिंग भी संलग्न की गयी है। वादी मुकदमा व पीड़ित शिया धर्मगुरू मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस प्रकार केस डायरी में उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्यों के आधार पर आक्षेपित अपराध गम्भीर प्रकृति का दर्शित हो रहा है।

8. अभियोजन की ओर से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके विरूद्ध पंजीकृत 34 अभियोगों की सूची प्रस्तुत करते हुए उसके विरूद्ध कुल 102 अभियोग पंजीकृत होना बताया गया है। इस संबंध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था प्रभाकर तिवारी प्रति उ0प्र0राज्य व अन्य (2020)11 सुप्रीम कोर्ट केसेज 648, व मौलाना मोहम्मद आमिर रशदी प्रति उ0प्र0राज्य व अन्य(2012)1 सुप्रीम कोर्ट केसेज (कि.) 681 प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज मामलों में दो को छोड़कर अन्य 84 मामलो में उसकी जमानत स्वीकार की जा चुकी है तथा 16 मामलो में अभिलेख न मिलना बताया गया है। उसके विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर अभियुक्त को जमानत देने से इंकार नही किया जा सकता है।

9. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्थाओं में यह मत व्यक्त किया गया है कि मात्र आपराधिक इतिहास के आधार पर अभियुक्त को जमानत देने से इंकार नही किया जा सकता है, अपितु न्यायालय को प्रकरण में अभियुक्त की भूमिका व अन्य परिस्थितियों जैसा कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उसके पलायन की सम्भावना आदि पर भी विचार करना चाहिए।

10. इस संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था नीरू यादव प्रति उ0प्र0राज्य (2016) 15 एस.सी.सी. 422, अवलोकनीय है, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत देते समय उसके आपराधिक

इतिहास को पूर्णतया नजर अंदाज नही किया जाना चाहिए। इसी प्रकार निर्णयज विधि सुनीता भाटी प्रति उ0प्र0राज्य, (2020) 6, एस.सी.सी. 556 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध 45 अन्य गम्भीर मामले दर्ज होने के आधार पर जमानत निरस्त किये जाने के मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराया है।

11. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त का बृहद आपराधिक इतिहास होना तथा उसके विरूद्ध पूर्व में समान प्रकार के 12 अन्य मामले पंजीकृत होना बताया गया है जिससे यह प्रकट होता है कि अभियुक्त इस तरह के अपराध कारित करने का अभ्यस्त है। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की आक्षेपित अपराध में स्पष्ट भूमिका परिलक्षित हो रही है। मामले में विवेचना प्रचलित है। न्यायालय के मत में अभियुक्त को जमानत दिये जाने से साक्ष्य से छेड़छाड़ किये जाने व साक्षीगण को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है। जहॉ तक अभियुक्त की ओर से रिमाण्ड एवं परिसीमा काल की समाप्ति के बाद संज्ञान के वर्जन संबंधी आपत्तियों का प्रश्न है, तो इस संबंध में अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष विधिनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में प्र0सू0रि0 लगभग पांच वर्ष विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। इस संबंध में अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त तत्कालीन सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद आसीन रहा है और उसके प्रभाव के कारण प्रस्तुत मामले में प्र0सू0रि0 दर्ज नही हो पा रही थी। जैसा कि वादी ने अपने प्र0सू0रि0 में ही यह उल्लेख किया है कि 17 अप्रैल 2014 से प्राथमिकी दर्ज किये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद आज तक सरकारी प्रभाव में प्राथमिकी दर्ज नही हुई है। अभियुक्त की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा को प्र0सू0रि0 दर्ज कराये जाने का कोई अधिकार नही था, क्यों कि वह पीड़ित व्यक्ति नही है। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति शिया धर्मगुरू मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने अपने 161 दं.प्र.सं. के बयान में यह स्पष्ट कथन किया है कि उसके निर्देश पर वादी मुकदमा द्वारा उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित प्रवासी भलाई संगठन, बिलाल अहमद कालू व पैट्रिशिया मुखीम निर्णयज विधियों में व्यक्त मत से यह न्यायालय ससम्मान सहमत है, किन्तु प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न होने के आधार पर उक्त निर्णयज विधियों का कोई लाभ अभियुक्त को प्राप्त नही होता है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा लिखित रूप से शिया धर्मगुरू के विरूद्ध अपमानजनक वक्तव्य जारी करते हुए दो वर्गो के मध्य घृणा व कटुता पैदा करने के आशय से उन्हें प्रकाशित व प्रसारित कराया गया है, जिससे अभियुक्त का दुराशय दर्शित हो रहा है। प्रस्तुत प्रकरण मुस्लिम समुदाय के दो वर्गो

के मध्य घृणा व विद्वेष फैलाने से संबंधित है, तथा समाज पर गम्भीर व व्यापक दुष्प्रभाव डालने वाला परिलक्षित हो रहा है। अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में जो तर्क प्रस्तुत किये गये है, वह बचाव स्तर के हैं, जिनका कोई लाभ इस स्तर पर उसे प्राप्त नही हो रहा है।

12. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, कारित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता तथा उससे समाज में पड़ने वाले दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नही पाया जाता है। परिणामस्वरूप जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेशः–

प्रार्थी/अभियुक्त **मोहम्मद आजम खान** पुत्र स्व0 मोहम्मद मुमताज खान की ओर से मु0अ0सं0 079/2019, अंतर्गत धारा 500, 505 भारतीय दण्ड संहिता, थाना हजरतगंज, जिला लखनऊ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

(हरबंश नारायन)
विशेष न्यायाधीश,
एम0पी0एम0एल0ए0 कोर्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं0 6,
लखनऊ।
I.D.-U.P.6297